संख्या-27/001/229-25-27-3005-62-2024

प्रेषक,

चन्द्र भूषण
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः 29 मार्च, 2025**

विषयः आर्बीट्रिशन अपील संख्या-590/2023 स्टेट ऑफ यू0पी0 व दो अन्य बनाम मेसर्स विराट कांस्ट्रक्शन में पारित आदेश दिनांक 14.03.2024 के अनुपालन में लोक लेखा शीर्षक-8674-101-01 से मा0 न्यायालय में जमा की गयी धनराशि को भारित मद के लेखाशीर्षक-4700-33-051-10-14-24 से समायोजन करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-239/मु0अ0(अनि)/अनिमं-6/यू-3/बेतवा, दिनांक 07.03.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- प्रश्नगत प्रकरण आर्बीट्रिशन अपील संख्या-590/2023 स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य बनाम मेसर्स विराट कन्स्ट्रक्शन में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.03.2024 के अनुपालन में वित्त विभाग के परामर्श के उपरान्त शासन के पत्र संख्या-6/496-24-27-3099-60-2024, दिनांक 30.04.2024 के द्वारा लोक लेखा शीर्षक-8674-101-01 से धनराशि रूपया 4,26,73,207.00 (रूपया चार करोड छब्बीस लाख तिहत्तर हजार दो सौ सात मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन निर्गत की गयी थी, जो मा0 न्यायालय में जमा करा दी गयी थी-

"लोक लेखा एक समायोजन की मद है, अत: लोक लेखे से व्यय की गयी धनराशि का समायोजन आवश्यक होता है। प्रश्नगत प्रकरण में यदि मा0 न्यायालय में निर्णय सरकार के पक्ष में होता है, तो प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रतिभूति के रूप में जमा की गयी धनराशि वापस उपरोक्त लेखाशीर्ष के प्राप्ति पक्ष में जमा की जानी होगी। अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि, सम्बन्धित अनुदान में बजट व्यवस्था कराकर, स्वीकृत करते हुए लोक लेखा के उपरोक्त अंकित लेखाशीर्ष के प्राप्ति पक्ष में पुस्तक समायोजन के माध्यम से जमा की जानी होगी।"

3- सिंचाई प्रखण्ड-तृतीय, बाँदा से संबंधित बांदा शहर को केन नदी की बाढ़ से बचाने हेतु निर्मित मार्जिनल बांध पर रेगुलेटर निर्माण कार्य की परियोजना से आच्छादित आर्बीट्रिशन अपील संख्या-590/2023 स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य बनाम मेसर्स विराट कांस्ट्रक्शन के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा अपील संख्या-4201/2025 (S.L.P. (C) No.-004462/2025 दिनांक 03.03.2025 को डिस्पोज्ड (disposed) कर दी गयी है। इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में खारिज होने के उपरांत शीर्षक-8674-101-01 से प्राप्त धनराशि को समायोजन किये जाने हेतु रूपये 4,26,73,207.00 (रूपया चार करोड छब्बीस लाख तिहत्तर हजार दो सौ सात मात्र) हेतु प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार भुगतान / समायोजन किये जाने की विधिक बाध्यता है।

अत: मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा अपील संख्या-4201/2025 (S.L.P. (C) No.-004462/2025 दिनांक 03.03.2025 के खारिज होने के क्रम में अनुदान संख्या-94 के लेखाशीर्षक-4700-33-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

051-10-14-24 में रूपये 4,26,73,207.00 (रूपये चार करोड छब्बीस लाख तिहत्तर हजार दो सौ सात मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

4- प्रश्नगत प्रकरण में अवमुक्त की जा रही धनराशि रू0 4,26,73,207.00 (रूपया चार करोड छब्बीस लाख तिहत्तर हजार दो सौ सात मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या-94 के लेखाशीर्षक-4700-33-051-10-14-24 भारित मद में से लोक लेखाशीर्षक-8674-101-01 के नाम से डाला/समायोजन किया जायेगा।

5- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त उक्त धनराशि का भुगतान/समायोजन किए जाने से पूर्व गणनाचक्र की शुद्धता की जांच प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा निश्चित रूप से कर ली जायेगी। गलत/त्रुटिपूर्ण भुगतान हेतु सम्बन्धित अधिकारीगण व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
चन्द्र भूषण
अनु सचिव

<u>पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) मुख्य अभियन्ता (दक्षिण), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, झांसी।
(6) मुख्य अभियन्ता (बेतवा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, झांसी।
(7) अनु सचिव(लेखा)/आहरण वितरण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) कोषाधिकारी, बांदा।
(9) अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, बांदा।
(10) अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई प्रखण्ड-तृतीय, बांदा।
(11) सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(12) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(13) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(14) गार्ड फाईल।

आज्ञा से
चन्द्र भूषण
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।